# जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

No./IPRO/ Date:-

## ऑनलाईन ऑफ केम्पस संयुक्त काउंसिलिंग कार्यक्रम 2023-24

## B.Sc. (Hons) Agriculture, B.Sc. (Hons) Horticulture, B.Sc. (Hons) Forestry and B.Tech. (Agricultural Engineering)

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा पी.ए.टी. 2023 के घोषित परिणामों के आधार पर जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर एवं राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर में प्रवेश के इच्छुक समस्त उम्मीदवार अर्हताकारी परीक्षा में मेरिट के आधार पर तालिका कमांक 1.1 में दिये गये श्रेणीवार प्राप्तांक या उससे अधिक प्राप्तांक प्राप्त समस्त अभ्यर्थी तालिका क. 1.2 में दर्शाये कार्यक्रमानुसार ऑनलाईन ऑफ केम्पस काउंसिलिंग में इन्टरनेट के माध्यम से अपने घर/शहर/गांव से वेबसाईट www.jnkvv.org, www.rvskvv.net या www.crisponlineservices.com के माध्यम से सम्मिलित हो सकते है।

तालिका क्र. 1.1

| क्र. | श्रेणी | पी.ए.टी.–2023 में प्राप्त प्राप्तांक | |
|---|---|---|---|
| | | B.Sc. (Hons.) Ag./Horti./Forestry | B. Tech. (Ag. Engg) |
| 1 | स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/सैनिक अभ्यर्थी समस्त श्रेणी UR /SC /ST /OBC/ EWS (FF/S/PWD) | समस्त पात्र अभ्यर्थी | समस्त पात्र अभ्यर्थी |
| 2 | अनु. जाति श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी SC (F) | समस्त पात्र अभ्यर्थी | समस्त पात्र अभ्यर्थी |
| 3 | अनु. जाति SC (X) श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी तथा समस्त SC (K) कृषक अभ्यर्थी | समस्त पात्र अभ्यर्थी | समस्त पात्र अभ्यर्थी |
| 4 | अनु. जनजाति श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी ST (F) | समस्त पात्र अभ्यर्थी | समस्त पात्र अभ्यर्थी |
| 5 | अनु. जनजाति ST(X) श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी तथा समस्त ST(K) कृषक अभ्यर्थी | समस्त पात्र अभ्यर्थी | समस्त पात्र अभ्यर्थी |
| 6 | अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी OBC (F) | समस्त पात्र अभ्यर्थी | समस्त पात्र अभ्यर्थी |
| 7 | अन्य पिछड़ा वर्ग OBC(X) श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी तथा समस्त OBC(K) कृषक अभ्यर्थी | 72 या अधिक | 59 या अधिक |
| 8 | अनारक्षित श्रेणी/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की समस्त महिला अभ्यर्थी UR/EWS (F) | समस्त पात्र अभ्यर्थी | समस्त पात्र अभ्यर्थी |
| 9 | आरक्षित वर्ग UR(X) के समस्त अभ्यर्थी | 72 या अधिक | 59 या अधिक |
| 10 | अनारक्षित वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग UR/EWS (X) के समस्त अभ्यर्थी | समस्त पात्र अभ्यर्थी | समस्त पात्र अभ्यर्थी |

टीप: समस्त पात्र अभ्यर्थी अर्थात ऐसे पात्र अभ्यर्थी जिनका म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की सूची में नाम है।

तालिका क्र. 1.2

| पाठ्यक्रम | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन एवं इच्छित महाविद्यालयों के प्राथमिकता कम का ऑनलाईन चयन एवं शुल्क का भुगतान कर लॉक करना | निर्धारित केन्द्रो पर दस्तावेजों का सत्यापन | आवंटन पत्रों की ऑनलाईन उपलब्धता | काउंसिलिंग शुल्क (आंशिक शुल्क) का भुगतान | आवंटित महाविद्यालय में शेष शुल्क के साथ उपस्थिति एवं प्रवेश |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Sc. (Hons) Agriculture<br>B.Sc. (Hons) Horticulture<br>B.Sc.( (Hons) Forestry<br>B.Tech.(Agricultural Engineering.) | 01.11.2023<br>से<br>15.11.2023<br>(रात 12 बजे तक) | 21.11.2023<br>से<br>28.11.2023<br>(11 बजे से शाम 5 बजे तक)<br>(अवकाश दिवस छोड़कर) | 01.12.2023<br>से<br>05.12.2023<br>(रात 12.00 बजे तक) | 01.12.2023<br>से<br>05.12.2023<br>(रात 12.00 बजे तक) | 05.12.2023<br>से<br>08.12.2023<br>(11 बजे से शाम 5 बजे तक)<br>(अवकाश दिवस छोड़कर) |

- प्रवेश नियम, काउसिलिंग प्रकिया एवं शुल्क की विस्तृत जानकारी www.jnkvv.org, www.rvskvv.net या www.crisponlineservices.com पर उपलब्ध है जिसका उम्मीदवार सूक्ष्मता से अध्ययन कर लेवें।
- प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल पी.ए.टी. 2023 पुस्तिका में दिये गये प्रवेश नियमों का पालन किया जावेगा।
- सभी पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थीयों के दस्तावेजों का सत्यापन निम्नलिखित केन्द्रों पर होगा–
  कृषि महाविद्यालय, जबलपुर/रीवा/टीकमगढ़/गंजबसौदा/वारासिवनी (बालाघाट)/पवारखेड़ा (नर्मदापुरम)/ग्वालियर/इन्दौर/सीहोर/खंडवा/उद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर/कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जबलपुर/आंचलिक अनुसंधान केन्द्र, चंदनगांव, छिंदवाड़ा/क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, सागर, कृषि विज्ञान केन्द्र, पन्ना।
- पेमेन्ट सीट पर उन्ही अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होने मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल पी.ए.टी. 2023 में आवेदन करते समय पेमेंट सीट के ऑप्शन पर टिक किया होगा या Yes लिखा होगा एवं अभ्यर्थियो का नाम व्यापम पेमेंट सूची में अनिवार्य रुप से होना आवश्यक है।
- मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल पुस्तिका 2023 में दर्शाये गये प्रारुप अनुसार ही वांछित प्रमाण–पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के अभ्यर्थीयों को सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के **पत्र क्रमांक–एफ–07–11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 02 जुलाई, 2019** का संलग्नक प्रारूप के आधार पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवश्यक प्रमाण पत्रों की रंगीन छायाप्रति महाविद्यालय में प्रवेश के समय जमा करना आवश्यक है।
- अपग्रेडेशन का विकल्प केवल प्रथम चक्र में ही उपलब्ध होगा।
- **प्रथम चक की काउंसिलिंग प्रकिया पूर्ण होने के पश्चात शेष रिक्त सीटों का महाविद्यालयवार एवं श्रेणी वार जानकारी www.jnkvv.org, www.rvskvv.net एवं www.crisponlineservices.com पर प्रदर्शित किया जावेगा एवं रिक्त सीटो का आवंटन द्वितीय चक में जिन अभ्यर्थियो के दस्तावेजों का सत्यापन पूर्व में हो चुका है उन्ही अभ्यर्थियो में से मेरिट के आधार पर ऑन लाईन आवंटन किया जावेगा।**

कुलसचिव

# जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

## पी.ए.टी.–2023 ऑनलाईन ऑफ कैंपस काउंसिलिंग प्रक्रिया

### PAT - B.Sc. (Hons) Agriculture/Horticulture/Forestry and B.Tech. (Agricultural Engineering)

### ऑनलाईन ऑफ कैंपस काउंसिलिंग हेतु प्रमुख छः चरण

1. ऑनलाईन पंजीयन (Online Registration)
2. ऑनलाईन प्राथमिकता क्रम का चयन एवं ऑनलाईन आवेदन/पोर्टल शुल्क का भुगतान

   (Online preferences / choice filling and payment of online application / portal fee)
3. दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification)
4. ऑनलाईन आवंटन (Online Allotment)
5. ऑनलाईन आंशिक शिक्षण/कांउसिलिंग शुल्क का भुगतान (Online part payment of counseling fee)
6. आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश

   (Reporting and Admission in allotted college)

✓ काउंसिलिंग में अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर सम्मिलित होने वाले समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी चरण 01 से 06 तक का पालन करना होगा।

### 1. ऑनलाईन पंजीयन (Online Registration):

समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये ऑनलाईन पंजीयन कराना होगा। ऑनलाईन काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये सभी अभ्यर्थी वेबसाईट पर ऑनलाईन पंजीयन करवाएगें। **पंजीयन हेतु कोई शुल्क देय नही है।** ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु अभ्यर्थी इन्टरनेट के माध्यम से जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की वेबसाइट **www.jnkvv.org** अथवा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की वेबसाइट **www.rvskvv.net** अथवा **www.crisponlineservices.com** द्वारा प्रदेश में कही से भी सम्मिलित हो सकते है।

- सफलतापूर्वक पंजीयन उपरांत अभ्यर्थी को आई.डी. एवं पासवर्ड **SMS / E-mail** द्वारा प्राप्त होगा।
- अगली बार अभ्यर्थी अपने आई.डी. एवं पासवर्ड का उपयोग कर लागईन कर सकते है।
- सभी अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि काउंसिलिंग की प्रक्रिया के लिये पासवर्ड सुरक्षित व गोपनीय रखें ताकि समय–समय पर आवश्यक्तानुसार उसका उपयोग करने में परेशानी न हो।
- अभ्यर्थी को यह सुविधा रहेगी की वह कभी भी अपना पासवर्ड बदल सकता है।
- पासवर्ड भूल जाने / गुम जाने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा **Forget Password** पर क्लिक कर पासवर्ड **Reset** किया जा सकेगा।

2. **ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन एवं पोर्टल शुल्क का भुगतान (Online preferences /choice filling and payment of portal fee):**

सफलतापूर्वक लागईन पश्चात् अभ्यर्थी अपने पी.ए.टी. रोल नंबंर तथा जन्म तिथि का उपयोग कर पाठ्यक्रमवार संस्थाओं (महाविद्यालयों) का प्राथमिकता क्रम से चयन कर सकेंगे। इस कार्यवाही के लिये निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन करना होगा –

- **अभ्यर्थी को सभी उपलब्ध महाविद्यालयों / पाठ्यक्रम का प्राथमिकतानुसार ऑनलाइन चयन करना तथा निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व शुल्क का भुगतान कर च्वाइस** (Choice) **लॉक करना होगा।**
- अपनी इच्छित प्राथमिकता को लॉक करने के पूर्व अभ्यर्थी अपनी इच्छित प्राथमिकताक्रम को अपनी संतुष्टि के लिये कई बार बदल सकते है। परन्तु शुल्क का भुगतान करने के बाद इच्छित प्राथमिकता क्रम लॉक हो जावेगा तथा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नही हो सकेगा।
- अभ्यर्थीयों को शुल्क रु. 550/– का ऑनलाइन भुगतान करना होगा जो कि अप्रतिदेय (Non refundable) है। अपनी च्वाईस को लॉक करने के बाद एक पावती प्राप्त होगी, जिसमें भुगतान किये गये शुल्क का ब्यौरा तथा उनकी च्वाईस (Choice) का क्रम प्राथमिकता के अनुसार मुद्रित होगा। **अभ्यर्थी इस पावती (Receipt) को संभालकर अपने पास रखें।**
- शुल्क भुगतान के लिये निम्नलिखित दिये गये विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का उपयोग किया जा सकता है।

- इन्टरनेट बैकिंग (समस्त बैंक)
- एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड (मास्टर/वीजा/रूपये)

3. दस्तावेजों का सत्यापन (**Documents Verification**):

ऑनलाईन पंजीयन के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा इच्छित प्राथमिकता क्रम को लॉक करने के पश्चात सर्वप्रथम सत्यापन की अंतिम तिथि से पूर्व अपने निम्नलिखित मूल दस्तावेजों का निकटस्थ महाविद्यालयों में सत्यापित करवाना होगा –

- अर्हकारी परीक्षा (PAT-2023) की अंकसूची
- 10वीं की अंकसूची/प्रमाण–पत्र
- 12वीं की अंकसूची/प्रमाण–पत्र (माईग्रेशन प्रमाण पत्र)
- जाति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)
- आय प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)
- मध्यप्रदेश के मूल निवासी प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)
- कार्यरत कृषक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी /सैनिक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- गैप प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र (EWS) (आवश्यकतानुसार यदि लागू हो)
- दिव्यांग (PWD) Person With Disability (आवश्यकतानुसार यदि लागू हो)
- ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट एवं शुल्क भगुतान की पावती

महाविद्यालयों पर मूल दस्तावेज सत्यापन उपरांत वापस कर दिये जावेगें। महाविद्यालय अभ्यार्थियों को योग्य (Eligible) अयोग्य (Not Eligible) होने की पावती जारी करेंगें। किसी दस्तावेज के उपलब्ध न करा पाने या सही दस्तावेज उपलब्ध न करा पाने के कारण अयोग्य (Not Eligible) अभ्यर्थी सत्यापन की अंतिम तिथि के पूर्व पुनः उपस्थित होकर अपने सही/चाहे गये दस्तावेंजों का सत्यापन करवा सकते है। आरक्षित श्रेणी में अयोग्य (Not Eligible) हो जाने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा घोषित पी.ए.टी. प्रावीण्य सूची के आधार एवं कर्मचारी चयन मण्डल नियम पुस्तिका में दिये गये नियमों के अंतर्गत रहेगी।

सत्यापन की अंतिम तिथि से पूर्व मूल दस्तावेजों को निम्न महाविद्यालयों/अनुसंधान केन्द्रों में सत्यापित कराया जा सकता है–

कृषि महाविद्यालय, जबलपुर/ रीवा/ टीकमगढ़/ गंजबसौदा/ वारासिवनी (बालाघाट)/ पवारखेड़ा (नर्मदापुरम)/ ग्वालियर/ इन्दौर/ सीहोर/ खंडवा/ उद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर/ कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जबलपुर/ आंचलिक अनुसंधान केन्द्र, चंदनगांव, छिंदवाड़ा/ क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, सागर/ कृषि विज्ञान केन्द्र, पन्ना।

4. **ऑनलाईन आवंटन (Online Allotment):**

पी.ए.टी. में प्राप्तांकों, अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकताक्रम, पी.ए.टी. के प्रवेश नियमों के आधार पर कॉमन मेरिट के अनुसार निर्धारित समय सारणी के अनुसार आवंटन किया जावेगा तथा आवंटित महाविद्यालय/पाठ्यक्रम का उल्लेख आवंटन पत्र में होगा। जिसका प्रिन्ट आउट अभ्यर्थी अपनी लॉगईन आईडी/पासवर्ड डालकर प्राप्त करेगें।

5. **ऑनलाईन आंशिक शिक्षण/कांउसिलिंग शुल्क का भुगतान (Online part payment of counseling fee):**

आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अपने लॉगईन आईडी/पासवर्ड का उपयोग कर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आंशिक शिक्षण/कांउसिलिंग शुल्क राशि रु. 5000/– (रूपये पांच हजार) का भुगतान करना होगा। सफलतापूर्वक शुल्क भुगतान करने के बाद एक पावती (Receipt) प्राप्त होगी जिसमें भुगतान किये गये शुल्क का विवरण मुद्रित होगा। **अभ्यर्थी इस पावती (Receipt) को संभालकर अपने पास रखें तथा आवंटित संस्था में प्रवेश के समय प्रस्तुत करें।**

6. **आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश (Reporting and Admission in allotted college):**

   1. अभ्यर्थी प्रवेश लेने हेतु आवंटित संस्था के आवंटित महाविद्यालय में आवंटन पत्र, कांउसिलिंग शुल्क भुगतान की पावती तथा **अपने समस्त मूल प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक शुल्क** के साथ उपस्थित होगें।
   2. अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेजों को महाविद्यालय में नियत दिनांक पर जमा करेगा। उसके उपरांत शेष आवश्यक शुल्क का भुगतान महाविद्यालय में करने के बाद शुल्क पावती की एक छायाप्रति महाविद्यालय में जमा करेगा तथा एक प्रति अपने पास रखेगा।

3. शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी को चाही गई सीट/महाविद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में वह आवंटित महाविद्यालय में अपग्रेडेशन के विकल्प के चयन के लिये आवेदन कर सकता है। इसमें अपग्रेडेशन के विकल्प का चयन करने वाले छात्र को एक सिस्टम जेनरेटड पत्र प्राप्त होगा जिसकी एक प्रति अभ्यर्थी को मिलेगी तथा अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रति आवंटित महाविद्यालय जहां छात्र ने उपस्थिति दर्ज कराई है वहां रिकार्ड में रखी जावेगी तथा अभ्यर्थी से मूल दस्तावेज न लेकर उनकी स्व प्रमाणित रंगीन छायाप्रति जमा करायी जायें।

4. अभ्यर्थी का अपग्रेडेशन होने पर नये आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को निम्न तीन दस्तावेजों के साथ उक्त महाविद्यालय में उपस्थित होना होगाः

   1) आवश्यक शुल्क भुगतान की पावती।
   2) नये महाविद्यालय में मूल दस्तावेज जमा कराए।
   3) अपग्रेडेशन की सिस्टम जेनरेटेड पत्र की प्रति।

5. अभ्यर्थी का अपग्रेडेशन नहीं होने पर पूर्व में आबंटित महाविद्यालय में मूल दस्तावेज नियत दिनांक में जमा करके प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेगें।

कुलसचिव